अति आवश्यक अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः– **एफएसएसए/2018/121** **दिनाँकः–** 1/2/18

1. राज्य अभिहित अधिकारी एवं
   संयुक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0),
   मुख्यालय।

2. समस्त संयुक्त निदेशक,
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
   जोन–राजस्थान

3. समस्त अभिहित अधिकारी एवं
   उप निदेशक,
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–राजस्थान

4. समस्त अभिहित अधिकारी एवं
   मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   राजस्थान।

विषयः– खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के बकाया/न्यायालय में लम्बित पीएफए (सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड) प्रकरणों की सूचना के सम्बंध में।

सन्दर्भः– निदेशालय का पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/158 दिनांक 08.02.2017।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र एवं एफएसएसएआई, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र क्रमांक F.NO. P. 15017/84/2015-FSSAI/Legal Dated, the 2nd August, 2016, F.NO. 15017/120/2016-FSSAI/Legal Dated, the 3rd October, 2017 and F.NO. P. 15017/120/2016-FSSAI/Legal Dated, the 8th December, 2017 में दिये गये निर्देशों की पालना में पीएफए एक्ट 1954 के अन्तर्गत लिये गये खाद्य नमूनों जो कि काफी समय से माननीय न्यायालय में लम्बित है एवं जिनकी प्रकृति गम्भीर नहीं है, उन्हे प्रत्याहारित किये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

उक्त निर्देशों के क्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 30.01.2018 को आयोजित रिव्यू बैठक में दिये गये निर्देशानुसार आपके अधीन कार्यरत समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि वे अपने सभी बकाया पीएफए (सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड) प्रकरण तथा माननीय न्यायालय में लम्बित (सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड) प्रकरण जो कि गम्भीर प्रकृति के नहीं है की सम्पूर्ण पत्रावलियो का परीक्षण कर आपकी अनुशंषा/टिप्पणी के साथ पत्रावलियों की छायॉप्रतियों सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष **दिनांक 05.02.2018 तक आवश्यक रूप** से प्रस्तुत करे, ताकि एफएसएसएआई, नई दिल्ली एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों की पालना में लम्बित पीएफए प्रकरणों के निस्तारण/प्रत्याहारण किये जाने की अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

अतः सम्पूर्ण प्रकरण आपकी अनुशंषा/टिप्पणी के साथ **निश्चित दिनांक 05.02.2018** तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करावे।

<u>पत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान करे।</u>

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– **एफएसएसए/2018/121** **दिनाँकः–** 1/2/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अति0 निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
3. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0) मुख्यालय।
4. समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राजस्थान को पालनार्थ।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बंधित को ईमेल एवं विभागीय वेब साईट पर भी अपलोड करे।
6. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर